



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



7 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 121 राँची, शनिवार,

28 मार्च, 2026 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

अधिसूचना

26 मार्च, 2026

संख्या :-01/नीति-05-03/2024-718-- झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-II, 1915) की धारा 89 एवं 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, सह-पठित धारा 16 एवं 20 का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 01/नीति-05-03/2024-903 दिनांक 31.05.2025 द्वारा अधिसूचित “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025” में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

- यह नियमावली “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2026” कही जायेगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
- यह नियमावली विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

2. “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025” के निम्नांकित नियमों में संशोधन/नियमों का अंतःस्थापन किया जाता है -

क्र०	नियम	वर्तमान में प्रावधानित नियम	संशोधित प्रावधान
1	18(i)	इस नियमावली के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ दुकानों के संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से सामान्यतः दिनांक 31.03.2030 तक की अवधि के लिए बंदोबस्त की जायेंगी। परंतु, ये अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए ही प्रदान की जायेंगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्षों के लिए नवीकरण, दुकानों के संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्त के अनुसार किया जा सकेगा। किन्तु जिला के खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केवल तभी किया जा सकेगा, जबकि उस जिला की निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का कम-से-कम 95% उत्पाद राजस्व के समतुल्य अनुज्ञप्तियों का नवीकरण जिला के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कराया जाय। इस संबंध में बंदोबस्ती की गणना करते हुए गणित के सन्निकटीकरण नियम का उपयोग किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप - 94.50% से अधिक बंदोबस्त दुकान को भी 95% बंदोबस्त माना जायेगा। इस नियमावली के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह की बंदोबस्ती किये जाने की स्थिति में निर्गत अनुज्ञप्ति दिनांक 31.03.2026 तक के लिए	इस नियमावली के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ दुकानों के संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से सामान्यतः दिनांक 31.03.2030 तक की अवधि के लिए बंदोबस्त की जायेंगी। परंतु, ये अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए ही प्रदान की जायेंगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्षों के लिए नवीकरण, दुकानों के संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्त के अनुसार किया जा सकेगा। इस नियमावली के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह की बंदोबस्ती किये जाने की स्थिति में निर्गत अनुज्ञप्ति दिनांक 31.03.2026 तक के लिए प्रदान की जायेगी। न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का मासिक वितरण किया जायेगा। अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में इस नियमावली के नियम 19 में वर्णित शर्तों के आलोक में तथा खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में न्यूनतम 10% वृद्धि के साथ इसका आगामी नवीकरण एक-एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जायेगा।

		प्रदान की जायेगी। न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का मासिक वितरण किया जायेगा। अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में इस नियमावली के नियम 19 में वर्णित शर्तों के आलोक में तथा खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में न्यूनतम 10% वृद्धि के साथ इसका आगामी नवीकरण एक-एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जायेगा।	
2	22(iii)	दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 5% प्रतिभूति राशि के रूप में विहित ऑनलाइन विधि अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में अधिकतम पाँच (5) कार्य दिवसों के अंतर्गत जमा करना होगा। यह राशि राज्य सरकार के सिविल डिपोजिट हेड 8443 के अंतर्गत जमा की जायेगी। यदि किसी आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल अग्रिम धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) आवश्यक प्रतिभूति राशि से अधिक है, तो उसे प्रतिभूति राशि अथवा अग्रिम उत्पाद परिवहन कर में सामंजित कर दिया जायेगा एवं अंतर राशि वापस कर दी जायेगी, परंतु यदि आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) प्रतिभूति राशि अथवा अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से कम है, तो उन्हें अंतर राशि को जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में भी जमा की जा सकेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में जमा की गई प्रतिभूति राशि आयुक्त उत्पाद के नाम से थातीकृत (Pledged) रहेगी। यह राशि	आवेदक को दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 5% प्रतिभूति राशि के रूप में ऑनलाइन विधि से अधिकतम पाँच (5) कार्य दिवसों के अंतर्गत जमा करना होगा। यह राशि राज्य सरकार के सिविल डिपोजिट हेड 8443 के अंतर्गत जमा की जायेगी। यदि किसी आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल अग्रिम धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) आवश्यक प्रतिभूति राशि से अधिक है, तो उसे प्रतिभूति राशि अथवा अग्रिम उत्पाद परिवहन कर में सामंजित कर दिया जायेगा एवं अंतर राशि वापस कर दी जायेगी, परंतु यदि आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), प्रतिभूति राशि अथवा अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से कम है, तो उन्हें अंतर राशि को जमा करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति वाले जिले में अवस्थित अनुसूचित व्यवसायिक बैंक (Scheduled Commercial Bank) से e-Bank Guarantee जमा करने की सुविधा होगी। e-Bank Guarantee की मान्यता दिनांक 30.09.2030 तक होगी। e-Bank Guarantee जमा करने पर उसके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की खुदरा उत्पाद दुकानों

		अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात वापस किये जाने योग्य है। इस राशि की वापसी में अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। बंदोबस्ती की एक माह के अंदर अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति राशि के एवज में झारखंड राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय बैंक की "बैंक गारंटी" भी समर्पित कर सकता है, जिसकी मान्यता अवधि संपूर्ण बंदोबस्ती की अवधि से छः माह अधिक तक की रहेगी। बैंक गारंटी के सत्यापन के पश्चात, अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में जमा की गई NSC विमुक्त कर दी जायेगी। ससमय प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी आवेदक के पक्ष में किये गये बंदोबस्ती को निरस्त कर नियम 16(ii) के तहत कार्रवाई करेंगे एवं द्वितीय एवं तृतीय सफल बंदोबस्त आवेदक को क्रमानुसार आमंत्रित करेंगे।	की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा किसी भी रूप में (ऑनलाइन विधि अथवा बैंक ड्राफ्ट एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) जमा की गई जमानत राशि को अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान e-Bank Guarantee से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा एवं उनके द्वारा देय सभी प्रकार के राजस्व अधिभारों की कटौती के पश्चात e-Bank Guarantee वापसी योग्य होगी। ससमय प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी आवेदक के पक्ष में किये गये बंदोबस्ती को निरस्त कर नियम 16(ii) के तहत कार्रवाई करेंगे एवं द्वितीय एवं तृतीय सफल बंदोबस्त आवेदक को क्रमानुसार आमंत्रित करेंगे।
3	41	अबंदोबस्त दुकानों का निस्तार - (i) लॉटरी के माध्यम से यदि किसी जिला में कतिपय खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों का समूह चार प्रयासों के बावजूद अबंदोबस्त रह जाते हैं, तो उत्पाद राजस्व संग्रहण को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला के कुल निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अधिकतम 10%, जिला के बंदोबस्त दुकानों में उनके न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के आधार पर समानुपातिक रूप से वितरित किया जा सकेगा तथा बंदोबस्त दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में समानुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी। इस संबंध में बंदोबस्त दुकानों के	अबंदोबस्त दुकानों का निस्तार - (i) यदि किसी जिला में कतिपय खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों का समूह अबंदोबस्त रह जाते हैं अथवा वैसे बंदोबस्त दुकान, जिनका आगामी वर्षों में नवीकरण नहीं कराया जाता है, तो वैसी अबंदोबस्त दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन की प्रक्रिया निम्नवत होगी - क) अबंदोबस्त/अनवीकृत, दुकान/दुकानों की प्रकृति, समूह की संरचना एवं वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व को अक्षुण्ण रखते हुए बिक्री अधिसूचना को प्रकाशित कर दुकानों की बंदोबस्ती हेतु अधिकतम दो प्रयास किया जायेगा। ख) उपरोक्त कंडिका (क) के आलोक में किये गये प्रयास के बाद भी यदि दुकान/ दुकानों के

	अनुज्ञाधारी द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में हुई वृद्धि का मानना बाध्यकारी होगा। उदाहरणस्वरूप- यदि किसी जिला का चालू वित्तीय वर्ष का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 100 करोड़ रुपये निर्धारित है। अधिकतम चार प्रयासों के उपरांत भी यदि बंदोबस्त दुकानों का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 87 करोड़ रुपये है, तो 10 करोड़ रुपये (निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 10%) बंदोबस्त दुकानों के राजस्व में उनके न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समानुपातिक रूप से वितरित कर दिये जायेंगे। यदि किसी बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिला के बंदोबस्त न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% है, तो इस बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 50 लाख रुपये की वृद्धि के साथ निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार जिला के बंदोबस्त दुकानों का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 97 करोड़ रुपये निर्धारित कर दिया जायेगा। शेष 3 करोड़ रुपये के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व वाले खुदरा दुकान/दुकानों के समूह का राजस्व उद्ग्रहण हेतु आयुक्त उत्पाद के द्वारा नियम 41 के (ii) एवं (iii) के आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा।	समूह अबंदोबस्त रह जाता है, तो समूह में शामिल दुकानों को अलग-अलग एकल दुकान के रूप में वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व को अक्षुण्ण रखते हुए बिक्री अधिसूचना को प्रकाशित कर दुकान की बंदोबस्ती हेतु अधिकतम दो प्रयास किया जायेगा। ग) उपरोक्त कंडिका (ख) के आलोक में किये गये प्रयास के बाद भी यदि दुकान अबंदोबस्त रह जाती है तो अबंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकान का संचालन वैकल्पिक कार्यकारी व्यवस्था के तहत झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जायेगा। झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दुकान संचालन प्रारम्भ किये जाने के पश्चात भी बिक्री अधिसूचना प्रकाशित कर दुकानों की बंदोबस्ती हेतु प्रयास उस वर्ष हेतु निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व पर किया जायेगा। घ) किसी वित्तीय वर्ष में झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकान का संचालन किये जाने के बाद दुकान की बिक्री के Trend के आधार पर उस दुकान के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नये सिरे से वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण किया जा सकेगा। एतद् हेतु जिला के उपायुक्त के द्वारा आयुक्त उत्पाद की सहमति से नया वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इन दुकानों की लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना प्रकाशित कर पुनः प्रयास किया जायेगा।
	(iii) शेष अबंदोबस्त दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी	(iii) खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्न

	द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित दुकानों को कम करने/स्थल परिवर्तन करने/दुकानों को समाप्त करने, निगम (JSBCL) के माध्यम से अबंदोबस्त दुकानों का संचालन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी को कोई आपत्ति नहीं होगी।	प्रक्रिया एवं शर्तों के तहत किया जायेगा - क) झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित खुदरा उत्पाद दुकानें No Profit/No Loss की व्यवस्था के तहत संचालित की जायेंगी। दुकानों के संचालन से प्राप्त होने वाली बिक्री से उत्पाद कर, उत्पाद परिवहन कर, अतिरिक्त उत्पाद कर, मूल्य वर्धित कर एवं लाभांश (नियम 34(ii) द्वारा थोक बिक्री मूल्य का 12% निर्धारित) के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से आवश्यक खर्च की कटौती कर शेष राशि झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य कोषागार में जमा कर दी जायेगी। ख) झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित की जाने वाली अबंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की बाध्यता नहीं रहेगी। ग) झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्ति झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 1C एवं 1D गोदाम से की जायेगी। झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित दुकानों में आपूर्तित मदिरा का आपूर्ति मूल्य, संबंधित कम्पनियों को झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, दुकानों में मदिरा की खुदरा बिक्री के उपरांत भुगतान किया जायेगा। घ) दुकानों के संचालन हेतु परिसर की व्यवस्था, किराये पर झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जायेगी। परिसर का चयन, जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति के द्वारा किया जायेगा - (a) उपायुक्त द्वारा नामित अपर समाहर्ता से अन्यून कोई पदाधिकारी- सदस्य (b) संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी - सदस्य (c) दुकान की अवस्थिति क्षेत्र के अंचलाधिकारी -सदस्य
--	--	---

		(d) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग - सदस्य (e) सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग) - सदस्य सचिव समिति द्वारा निर्धारित किराया, बिजली बिल एवं दुकान में लगाने वाले आवश्यक उपस्करों तथा दुकानों के संचालन में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों एवं खर्च का भुगतान झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जायेगा। ड़) झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, आयुक्त उत्पाद की सहमति से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु अवर निरीक्षक उत्पाद एवं उससे न्यून के क्रम के पदधारकों की सेवा दुकान प्रभारी, दुकान सहायक एवं दुकान पर्यवेक्षक के रूप में ले सकते हैं। च) आवश्यकतानुसार खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्रति दुकान एक दुकान प्रभारी तथा एक या एक से अधिक दुकान सहायक का चयन श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक के भुगतान के आधार पर झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भी किया जा सकेगा। दुकान प्रभारी को श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित कुशल श्रमिक के पारिश्रमिक तथा दुकान सहायक को अकुशल श्रमिक के पारिश्रमिक के अनुरूप भुगतान किया जायेगा। दुकान सहायक/दुकान प्रभारी का चयन, जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति के द्वारा किया जायेगा - (a) उपायुक्त द्वारा नामित अपर समाहर्ता से अन्यून कोई पदाधिकारी- सदस्य (b) संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी - सदस्य (c) श्रम अधीक्षक - सदस्य (d) सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग) - सदस्य सचिव छ) उपरोक्त कर्मियों के चयन के क्रम में, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके विरुद्ध किसी
--	--	--

		प्रकार का बकाया, Over Pricing, पेनाल्टी, अनियमितता इत्यादि की शिकायत लंबित न हो। इस संबंध में सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद-सह-जिला प्रबंधक द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। ज) दुकानों के संचालन हेतु कर्मों का चयन, पूर्व में झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मों अथवा जिला नियोजनालय में निबंधित व्यक्तियों में से किया जा सकेगा। झ) उपरोक्त कर्मियों का चयन पूर्णतः अस्थायी होगा तथा उनका कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। ट) दुकानों की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकान में ग्राहकों की संख्या के आधार पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक दुकान के लिए आवश्यकतानुसार सक्षम होमगार्ड की सेवा जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। ठ) सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों के पर्यवेक्षण के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के योग्य पदाधिकारी/कर्मों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। ड) संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए जिला स्तर पर अनुवीक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा। ढ) आवश्यकतानुसार संबंधित जिलों के
--	--	---

		उपायुक्त द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु अतिरिक्त कर्मी/पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। ण) झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार एजेन्सियों यथा परिवहन एजेन्सी, Cash Collection Agency, Security Agency, Insurance Agency एवं Auditors की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा एवं तदनुसार कार्रवाई करते हुए इसे सुनिश्चित किया जायेगा। त) खुदरा उत्पाद दुकानों में अग्निशमन तथा दुकानों के संचालन/पर्यवेक्षण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी उपस्कर झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लगाये जायेंगे। थ) झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुकानें तबतक संचालित की जायेंगी, जबतक कि उन दुकानों की बंदोबस्ती निजी खुदरा व्यवसायियों के साथ नहीं हो जाती हो।
--	--	--

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 903 दिनांक 31.05.2025 द्वारा अधिसूचित “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025” के शेष नियम यथावत रहेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमर कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।
